

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ दिनांक 15-5-2019

:-कार्यालय ड्राप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा वार्षिक सत्र 2019-20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2018-20 हेतु आवेदित एवं संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से सामाजिक संस्थानों को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/परीक्षा अमता वृद्धि/कमी हेतु सत्र 2018-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के सद-2 में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम संबंधित काले वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गान विचार-विमर्श कर निम्नवत निर्णय लिया गया :-

संलग्नक-1 में अंकित तकनीकी पाठ्यक्रमों से संबंधित डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से संलग्नक-1 में अंकित विवरण के अनुसार संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु निहित सम्बद्धता शर्तों के अधीन यथावत् प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।”

उक्त निर्णयानुसार संबंधित संस्था को परिषद की सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गए निर्णय के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम-एत एतने अंकित प्रवेश अमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पुस्तक/सिद्धान्त/प्रैक्टिस/पीरसीआर/इस में सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश अमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश अमता
1	4481	एच श्रीराम इंजीनियरिंग काले इन्जीनियरिंग टेक्नीकल सुकुट (बल्लभपुरी 2, जमिंदार नगर राह), सम्बटगढ़ जिल्ला	1. इलेक्ट्रिक इन्जीनियरिंग 2. मैकेनिकल इन्जीनियरिंग (ऑटो) 3. इमेरिजल इन्जीनियरिंग	120 120 80	120 120 80

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद ए०प्र० लखनऊ प्राविधिक शिक्षा परिषद डिप्लोमा वाली 1982 तक अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा सुकुट निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित सुकुट तीन वार्षिक इन्जीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30,150,00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक परीक्षा पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों हेतु वार्षिक परीक्षा पाठ्यक्रम के अतिरिक्त हेतु ₹०- 22,500.00 प्रतिवर्ष सुकुट की प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उक्त सुकुट के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से सुकुटों के अलावा में समय-समय पर योगदान द्वारा निर्गत किये जाने वाले सामाजिक प्रयोगों को, और दानानुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। काले निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2019-20 हेतु शर्तों का पूर्णतःपालन किया जाता है, तो भीतर की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था जो (उ०प्र०) प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा जय समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना डिप्लोमावाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संशुद्ध प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। शर्तों के विचार यह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन से निर्वाहानुसार की प्रक्रिया की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत सामाजिक से अनुदान निर्धारण एवं सम्बद्धता सुकुट प्राप्त करना होगा।

- ✓ संस्था को 100%ईआईटीआई से अत्याधिक लाभ हेतु अनुदान प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये डिग्री/मिडम/अडिनिजमो/इन्सपेक्टरी/निदेशी एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, 2020, संयुक्त प्रदेश शिक्षा परिषद, 2020 तथा प्राविधिक शिक्षा नीति, 2020 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये कार्य होगी।
- ✓ किलोग्राम इन कर्नेसी पाठ्यक्रम को संशोधन एवं पीपीआई गैर दिल्ली से अनुदान प्राप्त करने में अत्यधिक जल्दी है जो इस संस्था में समस्त उत्तरवाचित संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई धार समर्थ किया जाता है तथा बाबर जट के संघर्ष में सा न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिवृत्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है जो समस्त प्रतिवृत्ति संबंधित संस्था को ज्ञाती होगी।
- ✓ किलोग्राम इन कर्नेसी पाठ्यक्रम तयारित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदनित प्रवेश परीक्षा हेतु कंप्यूटरीकरण प्रारंभ होने से पूर्व ईआईआईटी से अनुदान प्राप्त कर परिषद कार्यवाही को उपलब्ध प्रस्तुत होगा अतथा सर्व प्रवेश को (कार्यवाही के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नीतिगत आदेश नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, छात्र-संख्या, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुन्दर, छात्रवास सुन्दर आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रक्रिया हेतु उपर्युक्त आवश्यक उपकरण करने के साथ रीगिड संस्था के संस्था में समस्त आवश्यक उपकरण सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को प्रस्तावित करने हेतु सिरीयल इतिहास के समस्त उपलब्ध कराये गये इतिहास भूमि-सूचक, फनीशर, उपकरण इत्यादि का कोई संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम को संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था पाठ्यक्रम का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो उत्तम संस्था की उत्तरदायी समस्त लिपि ज्ञान को अनुदान की प्रणयनी।
- ✓ संस्थागत सर्वो को अनुदान न दिये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

/

[सतीश कुमार सिंह]
सचिव

पृ०सं०- प्रावि/परिषद सचिवालय/2019/1133-2252

तद दिनांक: 15-5-2019

प्रतिनिधि-प्रधानाचार्य/निदेशक, उच्च मध्या माध्यमिक आर डी। संयुक्त प्रदेश शिक्षा परिषद 2, सचिवालय, गोरखपुर

/

[सतीश कुमार सिंह]
सचिव

**कार्यालय
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथिप/परिषद/सम्बद्धता/2020/1971

संलग्नक दिनांक 15-9-2020

:-कार्यालय द्वारा:-

जलिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, कार्मेली हाउसिंग ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा संचालित सत्र 2020-21 हेतु विद्यार्थी स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ संलग्नक से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-08-2020 को संलग्न प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक आयोजित हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अर्जित नई तकनीकी को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश कक्षा गृह सहायता आदि मदों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के अट-2 में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाओं को संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रस्ताव रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नवत निर्णय लिया गया :-

"निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम संचालित करने वाली डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, में ए0आई0सी0टी0आई0 द्वारा सत्र 2020-21 हेतु यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में ए0आई0सी0टी0आई0 द्वारा प्रदान किये गये गठ अनुमोदन विस्तार के अनुसार उक्त नाम के सम्मुख अधिकृत पाठ्यक्रम/प्रवेश कक्षा के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं ए0आई0सी0टी0आई0 द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्रदान अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में परिषद से सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को काबूल सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय में अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ संलग्नक द्वारा सत्र 2020-21 हेतु विन्ताकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एम उच्चतम अक्षर प्रवेश कक्षा हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं. 10	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0आई0/ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश कक्षा	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश कक्षा
1	4407	वेन गैंगुला कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नॉलॉजी, बुलन्द, सराणगी से बाकसीर नगर, रोड, सबटेलरगढ़, बाराणसी।	डिप्लोमा इन ईंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेकैट्रिकल इंजीनियरिंग	120 60 120	120 60 120

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0आई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमकारी 1982, संसद विधेयक-2016 तथा अन्य विहित नियमों (14 अर्थों) का अनुपालन करेगी तथा मुख्य निर्वाचन समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों तक पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,100.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों तक कार्मेली हाउसिंग हेतु रु० 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष दो वर्षों तक पाठ्यक्रमों (दो वर्षों तक कार्मेली हाउसिंग में अतिरिक्त) हेतु रु० 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही वर्षिक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। जयशंकर के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क की संख्या में समझ-समझ पर वास्तव द्वारा निर्धारित किये जाने वाले शासनादेश प्रमाणीकरण और तदनुसार कार्यावाही किया जाना आवश्यक होगा। जीस निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु फीस एवं पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था को जिला प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना। विनियमन-2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में समूचा प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। शीटों को रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता सुनिश्चित करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आर0सी0डी0ई0 / पी0सी0आई0 से आगामी रात्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि / नियमों / अधिनियमों / शासनादेशों / निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उ0प्र0, समूचा प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा इत्यादि गये निर्देशों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने में लिये बाध्य होगी।
- ✓ किलोमी इत कार्गरी पाठ्यक्रम को संस्थाएं यदि पी0सी0आई0 नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती हैं तो इस संस्था में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, समूचा प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा विभाग तथा प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बंध बाधर किया जाता है तथा बाधर बंध में संस्था में मा, पंचालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी अंतरा निर्दिष्ट किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करना होगी।
- ✓ किलोमी इत कार्गरी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को समूचा प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित गये जो लिए आगोमित प्रवेश परीक्षा हेतु साबितानिम प्राप्त होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अतः संस्था उन्हें प्रवेश की (कारतन्त्रिजि) के मतदान से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित हेतु निर्गत नवीनतम आयोग नियमों का अनुसरण करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक प्रतिक्रिया, स्टाफ, सार-संज्ञा, उपकरण, प्राय किया जाने वाला सुक्त, छात्रावास सुक्त आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रक्रिया हेतु उपयुक्त साधन उपलब्ध कराने की साथ विगत संज्ञानों का सम्बन्ध में समस्त आवश्यक साधन सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो से कि संस्था में प्रस्तावित / संचालित पाठ्यक्रम को उलाने जाने हेतु निरीक्षण समिति को संस्था उपलब्ध कराने गये अनिवार्य बुकि-बदन, कर्नेशन, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपलब्धता से प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था को सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में विनियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(डा० आर०के० सिंह)
सचिव

पूजा- प्राथि/परिषद सम्बद्धता / 2020 / 1972-3141 तददिनांक 15-09-2020
प्रतिरिधि- प्रशासक/निदेशक, देव महेश कॉलेज, डॉ० इन्डियाना, एम्स टेकनॉलॉजी, सुकर, गारावाली से संचकमीर
पर, संज्ञ, चार्मसमज्ञ, चारलासी।

(डा० आर०के० सिंह)
सचिव

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिष/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ- दिनांक: 09/08/2021

कार्यालय आपः

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैक्रिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सत्र हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रवेश क्षमता प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मादों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निर संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है-

संस्था का कोड एवं नाम : 4487-DEVO MAHESH COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY
SONBHADRA

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	120	120
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	CIVIL ENGINEERING	120	120

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, सेमेस्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंडीग पाठ्यक्रम हेतु ₹० 30120.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रम (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क की प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्मित किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस को नवीनतम दरे लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों) संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना विनियमवली-2003 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्मित शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓

स्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/व्यासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।

- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएँ यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई-कद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किली प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करना होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संखन० द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए अपाठित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अतथा उन्हें प्रवेश को (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, छात्र-संख्या, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिस्टर रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चतुर्थे जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद की इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्तरीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य छात्र-संख्या ए०आई०सी०एच०टी०पी०सी०आई०परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाये जाते हैं तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता रद्दी का अनुपालन न किये जाने अथवा रद्दी का उत्त्थन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुवासाभाष्यक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पू०सं०-प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, DEVO MAHESH COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, SONBHADRA



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव